एल.ई.डी. (साईज 12’×8’/96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

क्रमांक 4864/छ.ग.सं./प्रका./2024 नवा रायपुर अटलर नगर, दिनांक 15/03/2024

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 2,360/–(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 5,00,000/–(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री–बिड मीटिंग	दिनांक 28/03/2024 समय 3:30 बजे अपरान्ह से
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 19/04/2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 19/04/2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19/04/2024 समय 4:00 बजे अपरान्ह से

छत्तीसगढ़ संवाद
(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–2512580, 81
Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

क्रमांक 4864 / छ.ग.सं. / प्रका. / 2024 नवा रायपुर अटलर नगर, दिनांक 15 / 03 / 2024

एल.ई.डी.(साईज 12'×8'/ 96 Sq feet)माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एल.ई.डी.(साइज 12'X8' / 96 sq. feet.) माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र शुल्क	रुपये 2,360 / –(GST सहित)वापसी योग्य नही।
अमानत राशि	रुपये 5,00,000 / –(बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्री–बिड मीटिंग	दिनांक 28 / 03 / 2024 समय 3:30 बजे अपरान्ह से
ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 19 / 04 / 2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 19 / 04 / 2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 19 / 04 / 2024 समय 4:00 बजे अपरान्ह से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर(छ.ग)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2512580, 81

Web:- www.cg.nic.in/samvad, email : cgsamvad@gmail.com

नियम एवं शर्तें

एल.ई.डी (साईज 12’×8’/ 96 Sq feet)माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मो का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण

(1) छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों का जनजागरुकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है।

(2) उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :–

2.1 एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के साथ कला जत्था के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का हाटबाजार/ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार किया जाना है।

2.2 प्रति कार्यक्रम की अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी।

2.3 कार्यक्रम कें दौरान कार्ययोजना के मुताबिक प्रत्येक कार्यक्रम में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी संबंधित कम से कम 300 नग ब्रोशर, पाम्पलेट आदि प्रचार सामग्री आम नागरिकों को वितरण करना होगा। प्रचार सामग्री छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निविदाकार फर्म को कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को मात्र वितरण का कार्य करना होगा।

2.4 कार्यक्रम के दौरान कार्ययोजना के मुताबिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का कम से कम 05 दक्ष कलाकारों के कला जत्था टीम के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना होगा।

(3) इम्पैनलमेंट हेतु निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किया जाना है :–

3.1 निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन/गुमाश्ता लायसेंस होना अनिवार्य है। संस्था का पंजीयन प्रमाण–पत्र/पार्टनरशिप डीड/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रतियां अपलोड करना है।

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा।

3.3 माह दिसम्बर 2023 का GSTR3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह दिसम्बर –2023 की जीएसटी रिटर्न की प्रति अपलोड करना होगा।

3.4 एकल स्वामित्व (Propritorship) संस्था को स्वामी(Propritor) के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना है।

3.5 Assessment Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।

3.6 निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 5,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	**:**	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	**:**	**Central Bank of India**
Branch Name	**:**	**Civil Line, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	**:**	**1279040867**
IFSC Code No.	**:**	**CBIN0282321**

3.7 संस्था का वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 तीन वर्षों में औसतन रु. 50 लाख का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है। चार्टड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र में यू.डी.आई.एन. का उल्लेख होना अनिवार्य है।

3.8 कार्य से संबंधित अनुभव एवं प्रमाण के रुप में एल.ई.डी. माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से शासन के योजनाओं के प्रचार–प्रसार संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय/पीएसयू से जारी कार्यादेश/कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित सत्यापित फोटोग्राफ्स की प्रतियां अपलोड करना होगा।

(4) एल.ई.डी.(साईज 12'×8'/96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का कम से कम दो वाहन होना अनिवार्य है एवं वाहनों का पंजीयन 07 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं LED के देयक/दस्तावेज की प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करना होगा। स्वयं के स्वामित्व के वाहन नहीं होने की स्थिति में स्वयं के स्वामित्व वाले वाहन मालिक/फर्म से वाहन किराया/उपयोग करने संबंधी न्यूनतम 02 वर्ष का अनुबंध निष्पादित होना अनिवार्य है। जिनसे अनुबंध हुआ है उनके स्वामित्व के वाहन का देयक/दस्तावेज एवं निष्पादित अनुबंध की प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

4.2 वाहन में 12' X8' साइज का हाईड्रोलिक एल.ई.डी.माउन्टेड होना चाहिए, जो भी 5 फिट उपर 180 डिग्री में रोटेड होनी चाहिए।

4.3 पीए सिस्टम आहूजा/जेबीएल/यामाहा या इसी तरह के उच्च गुणवत्ता के कंपनी का कम से कम 1000 वाट का होना चाहिए।

4.4 कार्यक्रमों के घोषणा हेतु एम्लीफायर होना चाहिए।

4.5 वाहन में निरंतर बिजली आपूर्ति हेतु न्यूनतम 7.5 kv सांइलेंट जनरेटर सेट होना अनिवार्य हैं।

4.6 वाहन में वीडियो इनपुट के स्रोत VGA, USB, HDMI या DTH लाईव वीडियो इनपुट होना चाहिए।

(5) कार्य का विवरण :–

5.1 एल.ई.डी.माउन्टेड व्हीकल एवं कला जत्था टीम के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का विभिन्न जिलों में हाट बाजार/ग्राम पंचायतो एवं विभिन्न स्थानों पर प्रचार–प्रसार करना।

5.2 एल.ई.डी.माउन्टेड व्हीकल में प्रचार/ब्रांडिंग आदि गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। इस हेतु ट्रैकिंग (वस्तुस्थिति) की जानकारी हेतु GPS सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल उपकरण जिसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्लीफायर,7.5 kv साइलेंट जनरेटर एवं एल.ई.डी.स्क्रीन (साईज 12’×8’) वाहन में होना अनिवार्य है।

5.3 प्रत्येक वाहन के साथ ड्राईवर, टेक्नीशियन एवं एक एंकर (उद्घोषक) उपलब्ध कराना होगा। इम्पैनलमेंट फर्मो को एक सॉफ्टवेयर इंजिनियर का व्यवस्था करना होगा जो कि ब्रेकडाउन की स्थिति में तत्काल समस्या का समाधान कर सके।

5.4 फ्लैक्स राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना है। एल.ई.डी.स्क्रीन में प्रचार हेतु सीडी तथा फ्लैक्स की डिजाईन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रदान की जाएगी। निविदाकार फर्म को फ्लैक्स मुद्रण कर वाहन में ब्रांडिंग कार्य करना होगा।

5.5 वाहन में प्रचार–प्रसार के पूर्व कार्यक्रम की घोषणा किया जाना होगा, जिसमें माइक्रो फोन सिस्टम वाहन में होना अनिवार्य है।

LED configuration

Size	Minimum 12’ x 8’ feet /96 Sq feet
Specification	P6 SMD outdoor Full color RGB LED full waterproof
Pitch	10mm real pixel RGB
LED Standard	RGB Real Pixel
Working Temperature	45^0C or higher

(6) आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):–

किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

(7) सामान्य शर्तें :–

7.1 वाहन न्यूनतम (साइज 12’x8’/96 Sq feet) की LED Mounted वाहन होनी चाहिए एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु साइलेंट जनरेटर सेट, 1000 वॉट आहूजा/जे.बी एल. /यामहा या समकक्ष का PA System से सुसज्जित होगी। वाहन का पंजीयन 07 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। वाहन, शासन की विभिन्न योजनाओं का आकर्षक डिजाईनों एवं रंगों में मुद्रित फ्लैक्स से सुसज्जित होगी। टेक्नीकल बिड में योग्य पाये गये फर्मों को LED Mounted Vehicle का प्रस्तुतीकरण डेमो वर्चुअल माध्यम से कराना होगा।

7.2 संस्था को निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर एवं GST के अतिरिक्त परिवहन व्यय लॉजिंग, बोर्डिंग,पीओएल, वाहन के रखरखाव, चिकित्सा व्यय या अन्य किसी खर्च की प्रतिपूर्ति नही किया जाएगा। सभी खर्च संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

7.3 वाहन, कला जत्था टीम के सदस्यों, धन, थर्ड पार्टी अथवा अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संस्था के स्वयं की होगी। छत्तीसगढ़ संवाद इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अतः संस्था को बीमा/अन्य आवश्यक सुरक्षा करनी होगी।

7.4 संस्था को कार्य के एवज में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पश्चात् फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विभागों को देयक भेजा जाएगा एवं विभागों से देयक का भुगतान प्राप्त होने पश्चात् ही फर्मों को भुगतान किया जाएगा। किसी कारणवश किसी दिन न्यूनतम निर्धारित 04 कार्यक्रम से कम कार्यक्रम होने की स्थिति में निविदा के न्यूनतम दर के अनुपातिक दर पर देयक भुगतान किया जाएगा। परंतु किसी कारणवश किसी दिन 04 कार्यक्रम ना हो पाने के कारण की तथ्यात्मक जानकारी से छत्तीसगढ़ संवाद को अवगत कराना होगा।

7.5 संस्था द्वारा कार्य सम्पादन कर देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् GST अधिनियम अनुसार अगामी माह के नियत अवधि में GST जमा कर GSTR1 जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा GST Input Credit को Reverse कर देय ब्याज के साथ राशि संबन्धित फर्म के अन्य देयक/अमानत राशि से समायोजन करने का अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7.6 संपूर्ण कार्यक्रमों की फोटोग्राफ्स एवं कम से कम 10 मिनट का वीडियो फुटेज बनाकर देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7.7 यह निविदा मात्र दर निर्धारण एवं इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित है। इम्पैनलमेंट फर्मो को आवश्यकतानुसार कार्य आबंटन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

7.8 इम्पैनल्ड संस्था को कार्यादेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ संवाद के पास वाहन एवं अन्य साज–सज्जा के भौतिक सत्यापन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7.9 इम्पैनल्ड फर्मों को छत्तीसगढ़ संवाद के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध में निविदा की शर्तो के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य शर्ते शामिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को रहेगा।

7.10 निविदा प्रपत्र में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज होने, निविदा प्रपत्र लागत, अमानत राशि की मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति संलग्न न होने पर निविदा निरस्त मानी जाएगी।

7.11 निविदा प्रपत्र जमा करने की नियत तिथि एवं समय सीमा के बाद प्राप्त निविदा को अमान्य किया जाएगा।

7.12 निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।

7.13 निविदा प्रपत्र जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकार फर्मों को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है।

7.14 निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः

सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह् 3:00 बजे तक **छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, भण्डार शाखा कक्ष क्रमांक SF-10** में जमा किया जा सकता है।

7.15 इम्पैनलमेंट हेतु योग्य पाए गए फर्मों को निविदा के न्यूनतम दर पर 1 वर्ष के लिए अनुबंध निस्पादित करना होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुमोदित दर पर निविदा अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा। अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद का होगा।

7.16 इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता है एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 10 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि एवं अन्य देयकों से किया जा सकता है।

7.17 व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी स्क्रीन वैन के द्वारा किए गए कार्यक्रम के सत्यापन हेतु इम्पैनल्ड एजेंसी को जिला जनसम्पर्क अधिकारी /जनपद पंचायत के सीईओ/संबंधित पंचायत के सरपंच/पंचायत सचिव से सम्पादित कार्यक्रम का सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथ पस्तुत करना होगा।

7.18 छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में एल.ई.डी.माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से प्रदर्शित किये जा रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदनुसार देयक स्वीकार्य होगा।

7.19 समय–समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।

7.20 GPS based mobile application के माध्यम से वाहनों के प्रत्येक ट्रिप की वास्तविकता की monitoring की जावेगी, एवं उक्त बिन्दुओं में उल्लेखित सत्यापित प्रमाण–पत्रों के अतिरिक्त ऐप के डाटा के आधार पर गणना कर देयकों का भुगतान किया जावेगा।

(8) निर्देश :–

8.1 उक्त निविदा के नियम शर्तों, तिथि या अन्य किसी प्रकार की संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in में होगी।

8.2 छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तोवज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। बिन्दु क्र. 7.14 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नही होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर (छ.ग.)

Financial Bid Format

SN.	Activity	Descriptionu89	Rate quoted inclusive of all other expenses excluding GST	
			Rate per day	Rate Per month
1	LED mounted vehicle (Per day minimum 4 programme)	LED screen(p6) minimum size 12’x8’/96 sq. ft., equipped with GPRs system, Audio visual equipments and generators along with LED Screen, LED technician, one anchor and driver with vehicle maintenance and lodging boarding, photography and video Footage CD, distribution of Brochure etc and including all other expenses. (Distribution material will be provided by Chhattisgarh Samvad/Clients) **With Kala Jattha Team**		
	LED mounted vehicle (Per day minimum 4 programme)	LED screen(p6) minimum size 12’x8’/96 sq. ft., equipped with GPRs system, Audio visual equipments and generators along with LED Screen, LED technician, one anchor and driver with vehicle maintenance and lodging boarding, photography and video Footage CD, distribution of Brochure etc and including all other expenses. (Distribution material will be provided by Chhattisgarh Samvad/Clients) **Without Kala Jattha Team**		
2	Vehicle POL	Vehicle log book have to maintain and must be certified by authorized authority from Chhattisgarh Samvad.	Per K.m.	

Signature
Name & Designation
Seal of the Tenderer